



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236956
CG-DL-E-01072022-236956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2833]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944

No. 2833]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

का.आ. 2976(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 527(अ) तारीख 09.02.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 361 के कि.मी. 505.550 कि.मी. से 567.000 कि. मी. तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "25.02.2022" को "पुण्यनगरी" और "लोकमत टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी;

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.361 के कि.मी.505.550 से कि.मी.567.000 तक (गांजुर से रालगा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: लातूर					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी /हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चाकुर				
	गांव का नाम: अष्टा				
1	132	निजी	कृषि	0.01	शांताबाई माणिकराव साखरे (132)
2	150	निजी	कृषि	0.03	अशोक निवृत्ती पवार नृसिंग निवृत्ती पवार (150)
3	67	निजी	कृषि	0.0022	अर्जिक्य अशोक नागिने (67)
4	67	निजी	कृषि	0.02	जावीद अब्दुल रज्जाक शमाबी अब्दुल रज्जाक साजीद अब्दुल रज्जाक (67)
5	70	निजी	कृषि	0.0015	जगन्नाथ त्र्यांबक माने (70)
	गांव का नाम: घरणी				
6	4	निजी	कृषि	0.0026	बाबूराव विठलराव केंचे (4)
7	468	निजी	कृषि	0.14	सुरेश मारोती अभंगे (468)
8	479	निजी	कृषि	0.02	सुरेश मारोती अभंगे (479)

9	479	निजी	कृषि	0.14	विमलबाई सुरेश अभंगे (479)
10	479	निजी	कृषि	0.0006	ज्ञानोबा सोपान तोरे उमाकांत त्रयांबक तोरे (479)
11	586	निजी	कृषि	0.0024	नामदेव बंनगीरे शिवाजी बंनगीरे (586)
12	586	निजी	कृषि	0.0085	महारुद्र त्रयांबक मुळे (586)
गांव का नाम: महालंग्रा					
13	439	निजी	कृषि	0.0005	शंकर किशनराव बन (439)
14	467	निजी	कृषि	0.0092	सरोज संजय पावडे (467)
15	467	निजी	कृषि	0.0075	प्रकाश गोविंदराव चामले (467)
16	478	निजी	कृषि	0.014	नारायण किशनराव पेन्सलवार (478)
17	479	निजी	कृषि	0.03	हरिषचंद्र व्यंकट बिरले (479)
गांव का नाम: मोहदल					
18	26	निजी	कृषि	0.05	ज्ञानोबा पिराजी आदनिळे (26)
			कुल	0.489	

[फा. सं. NHAI/LA/NH-361/2015/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

S.O. 2976(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 527 (E), dated 09.02.2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No 361 on the stretch of land from Km. 505.550 to Km. 567.000 (Ganjur to Ralga Section) in District Latur in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Punyanagri" and "Lokmat Times" both dated 25.02.2022, under sub-section (3) of section 3(A) of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3(D) of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land form Km 505.550 to Km 567.000 (Ganjur to Ralga section) of the National Highway – 361 in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: Latur			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chakur				
	Village: Ashta				
1	132	Private	Agricultural	0.01	Shantabai Manikrao Sakhre 132
2	150	Private	Agricultural	0.03	Ashok Nivruti Pawar Narsing Nivruti Pawar 150
3	67	Private	Agricultural	0.0022	Ajinkya Ashok Nagine 67
4	67	Private	Agricultural	0.02	Javid Abdul Rajjak Shamabi Abdul Rajjak Sajid Abdul Rajjak 67
5	70	Private	Agricultural	0.0015	Jagannath Triyambak Mane 70
	Village: Gharni				
6	4	Private	Agricultural	0.0026	Baburao Vithalrao Kenche 4
7	468	Private	Agricultural	0.14	Suresh Maroti Abhnage 468
8	479	Private	Agricultural	0.02	Suresh Maroti Abhnage 479
9	479	Private	Agricultural	0.14	Vimalbai Suresh Abhnage 479
10	479	Private	Agricultural	0.0006	Dyanoba Sopan Tore Umakant Triyambak Tore 479
11	586	Private	Agricultural	0.0024	Namdev Bangire Shivaji Bangire 586
12	586	Private	Agricultural	0.0085	Maharudra Triyambak Mule 586

	Village: Mahalangra				
13	439	Private	Agricultural	0.0005	Shankar Kishanrao Ban 439
14	467	Private	Agricultural	0.0092	Saroj Sanjay Pawde 467
15	467	Private	Agricultural	0.0075	Prakash Govindrao Chamle 467
16	478	Private	Agricultural	0.014	Narayan Kishanrao Pensalwar 478
17	479	Private	Agricultural	0.03	Harishchandra Venkat Birle 479
	Village: Mohadal				
18	26	Private	Agricultural	0.05	Dyanoba Piraji Adnile 26
			TOTAL	0.489	

[F. No. NHAI/LA/NH-361/2015/3D]

RAJESH GUPTA, Director